संख्या- 2168 /ई-1/तेरह-21

प्रेषक,

अनिल कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त, उ.प्र.,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक : 03 नवम्बर, 2021

विषय :- चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कई अवसरों पर यह देखने में आया है कि प्रश्नगत इलाज की सूचना समय से न देने अथवा दावा विलम्ब से प्रस्तुत करने के परिप्रेक्ष्य में आवेदक अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि उन्हें सम्बन्धित नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई।

2. सरकारी सेवकों से यह अपेक्षित नहीं है कि वह संगत नियमों की जानकारी न होने को आधार बनाकर अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। वास्तव में, करायी गयी चिकित्सा के सापेक्ष सुसंगत नियमों की जानकारी समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को पहले से ही होनी चाहिए और इन नियमों का उचित रूप से पालन भी किया जाना चाहिए। नियमों की जानकारी न होने को आधार बनाया जाना एक प्रकार की बहानेबाजी ही है।

3. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस आशय के निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि उक्त नियमावली के नियमों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन करें और अपने दावे प्रस्तुत करते समय सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि इलाज की सूचना न दे पाने अथवा निर्धारित समयावधि के उपरान्त दावा प्रस्तुत कर विलम्ब मर्षण कराने की आवश्यकता न पड़े। उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर, की गयी कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

03/11/2021

(**अनिल कुमार**)
विशेष सचिव।